



हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213
Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176213

क्रमांक:हि.शि.बो./38/संबद्धता/2019/ 17286

दिनांक: 1/2/2019

“कार्यालय आदेश ”

संबद्धता कोड नं० 32534

स्कूल कोड नं० 4406

PRINCIPAL,
ARYAN INTERNATIONAL SCHOOL
BHARWAIN

DISTRICT UNA (H.P)-177109


आपके संबद्धता आवेदन के सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा विनियम,1992 संशोधित 2009 के अन्तर्गत आपके संस्थान को शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए कक्षा 9th+2(Sc.) हेतु अस्थाई संबद्धता निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है:-

1. जमा एक तथा जमा दो श्रेणियों के लिए संबद्धता (Arts/Science/Commerce Stream) में क्रमशः क्रमांक 7 तथा 8 पर (Ticked) चिन्हित किये गये विषयों के लिए होगी ।
2. शिक्षण संस्थान उन्ही पाठ्य-पुस्तकों को पढ़ाने के लिए बाध्य होगा जो हि.प्र.स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है ।
3. शिक्षण संस्थान संबद्धता विनियम की धारा-11 के अन्तर्गत निर्धारित दायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य होगा ।
4. बोर्ड के किसी भी अधिकारी द्वारा अकस्मात् निरीक्षण करने पर यदि यह पाया गया कि बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्य-पुस्तकों के अतिरिक्त कोई अन्य पुस्तकें पढ़ाई जा रही है या कोई और अनियमितता पाई गई तो संबद्धता रद्द कर दी जाएगी ।
5. यदि कोई शिक्षण संस्थान संबद्धता विनियम का दृढ़ता से पालन नहीं करता, तो सक्षम अधिकारी को संबद्धता वापिस लेने/रद्द करने का अधिकार होगा ।
6. संस्थान संबद्धता नियम 16.7.2(a) के अनुसार ही छात्रों का दाखिला अपने संस्थान में करेगा, यदि इस नियम की अनुपालना न की गई तो संबद्धता रद्द की जा सकती है।
7. (जमा एक) अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, हिन्दी, गणित, दर्शन शास्त्र, उर्दू, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल, भौतिक विज्ञान, रसायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, लेखा शास्त्र, संस्कृत, अर्थ-शास्त्र, व्यापार अध्ययन, संगीत, लोक प्रशासन, शारीरिक शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी ।
8. (जमा दो) अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, हिन्दी, गणित, दर्शन शास्त्र, उर्दू, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल, भौतिक विज्ञान, रसायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, लेखा शास्त्र, संस्कृत, अर्थ-शास्त्र, व्यापार अध्ययन, संगीत, लोक प्रशासन, शारीरिक शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी ।

नोट:- 1. माननीय उच्च न्यायालय शिमला (हि०प्र०) के निर्देशानुसार उक्त संबद्धता पत्र की एक प्रति स्कूल द्वारा विद्यार्थियों/अभिभावकों की सूचना के लिए नोटिस बोर्ड पर लगाना अनिवार्य है ।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर मामले संख्या WP(Civil) 13029 of 1985 titled as Sh.MC Mehta Vs Union of India & Others के अन्तर्गत दिनांक 16/12/1997 को जारी आदेशों का कड़ाई से पालन करें। जिसके अनुसार स्कूल बसों के संचालन के सम्बन्ध में जारी आदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए स्कूल बस/बैन व स्कूल द्वारा निर्धारित अन्य प्राइवेट बाहनों में छात्रों के सुरक्षित यातायात की व्यवस्था को सुनिश्चित करें। उसकी पालना न करने पर किसी भी अप्रिय घटना के लिए स्कूल प्रशासन/प्रबन्धन पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।

1. आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप अपने संस्थान में दाखिल किये गये कक्षावार बच्चों की लिस्ट 31 मई 2019 तक तथा अध्यापकों की सूची योग्यता प्रमाण पत्र की प्रति सहित शैक्षणिक सत्र के शुरू होने के 15 दिनों के अन्दर-अन्दर इस कार्यालय को भेजनी सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा प्रदान संबद्धता को वापिस ले लिया जायेगा।
2. आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप भारत / हि० प्र० सरकार द्वारा जारी सभी विधिक प्रावधानों/ संबद्धता रेगुलेशन 1992 में निर्धारित संबद्धता मापदण्डों की अनुपालना भी सुनिश्चित करें।
3. भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र 0 तिथि एवं अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र 0 तिथि तक ही मान्य है इसलिए आपको इस तिथि की समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर इसे बोर्ड कार्यालय में जमा करवाना होगा।


उप सचिव (संबद्धता)
कृते सचिव ।